P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-7* March- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

अजमेर जिले की अनुसूचित जाति की व्यावसायिक संरचना एवं आर्थिक स्वरूप

सुनील कुमार शर्मा
सह आचार्य,
भूगोल विभाग,
एस. पी. सी. राजकीय महाविद्यालय,
अजमेर, भारत

सारांश

इस शोध पत्र में अजमेर जिले में अनुसूचित जाति की व्यवसायिक संरचना एवं आर्थिक स्वरूप का विश्लेषण किया गया है । स्वतंत्रता प्राप्ति के 71 वर्ष बाद भी हमारे संविधान में नागरिकों के इन समूहो को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से अति पिछडा माना गया है। जिले में अनुसूचित जाति के आर्थिक विकास एवं व्यवसायिक संरचना को समझने के लिए उसकी कार्यशील जनसंख्या का वर्गीकरण एवं विश्लेषण सहायक होगा । इस शोधपत्र में जिले में अनुसूचित जाति की कार्यशील जनसंख्या का तहसीलवार वर्गीकरण एवं व्यवसायिक संरचना का विश्लेषण सांख्यिकीय विधियों व आरेखों द्वारा कर इनके आर्थिक विकास हेतु सुझाव देने का प्रयास है ।

मुख्य शब्द : व्यावसायिक संरचना, मुख्य कार्यशील, सीमांत कार्यशील, अकार्यशील, तहसील, काश्तकार , खेतीहर मजदूर।

प्रस्तावना

प्रस्तुत शोध अध्ययन विशिष्टतापूर्ण व्यवहारों एवं क्रियात्मक पक्षों के संदर्भ में है। यह अध्ययन जो तथ्य प्रस्तुत करता है वह मानवशास्त्रीय एवं समाज–वैज्ञानिक उपागम में एक शास्त्रीय देन है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से अनुसूचित जाति का अध्ययन सामाजिक–आर्थिक संदर्भ में प्रकार्यात्मक तथ्य प्रस्तुत करता है। इनकी सांस्कृतिक एवं सामाजिक वैविध्यता तथा एकता संबंधित तथ्य न केवल योजनाकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विकास कार्यकर्ताओं के लिए उपयोगी हैं साथ ही प्रत्येक सरकार के लिए भी इस तरह के अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। वर्तमान संदर्भ में तो ऐसे अध्ययनों की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है जहां भारतीय समाज में सांस्कृतिक एकीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। ऐसे संदर्भ में उपेक्षित जातियों को सांस्कृतिक धारा में लाये जाने का प्रयास राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ एवं दृष्टिकोण से अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। भारत में अधिकार हीन वर्ग की स्थिति में वांछित सुधार लाना किसी भी सरकार से अपेक्षित होता है। भारत का संविधान अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो को इस उद्देश्य से संरक्षण व सुरक्षा प्रदान करता है। जिससे उनकी सामाजिक–आर्थिक निर्योग्यताए हटाई जा सके और उनके विविध अधिकारों को बढ़ावा मिल सके। प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता अजमेर जिले की अनुसूचित जाति की जनसंख्या एवं उनके आर्थिक व्यावसायिक संरचना का अध्ययन कर सामाजिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक संस्थाओं और नियोजकों को उनकी भावी योजनाओ में सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखता है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. जिले में अनुसूचित जाति की व्यवसायिक स्थिति का विश्लेषण।
2. सामाजिक–आर्थिक उत्थान हेतु सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वन में आने वाले व्यवधानों एवं समस्याओं के निवारण हेतु उपाय खोजना।

साहित्यावलोकन

कवि. डॉ. रूपेन्द कुमार (2017) का शोध पत्र ''बस्तर जिला के अनुसूचित जनजतियों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन ''।

बॉथम. विनय कुमार (2012) के दारा अजमेर जिले की अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सामाजिक आर्थिक विकास पर किये गये शोध कार्य का अध्ययन किया गया ।

शर्मा. डॉ. सुनील कुमार. (2008) दारा लघु शोध प्रोजेक्ट ''पाली जिले की अनुसूचित जाति की जनसंख्या संबधी विशेषताओ एवं उनकी सामाजिक

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-7* March- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

आर्थिक दशाओ में परिवर्तन का एक भौगोलिक अध्ययन ''का अध्ययन किया गया। नागर. के .सी. (2016) सांख्यिकी के मूल तत्व मीनाक्षी प्रकाशन. मेरठ।

प्रो. अन्जु (2017). जनजातीय महिला विकास. एक समाज शास्त्रीय विश्लेषण का अध्ययन।

एम. जयपालन ने ''ह्यूमन राइट्स (2000)'' में मानवाधिकारों की सैद्धांतिक विवेचना करते हुए यू. एन. द्वारा मानवाधिकारों की विस्तृत व्याख्या की है। इसके संदर्भ में भारतीय संविधान में वर्णित नागरिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों को स्पष्ट करते हुए समानता के अधिकारों को उल्लेखित किया गया है।

के. एस. सिंह ''द शेड्यूल्ड कास्ट (1993)'' एवं ''द शेड्यूल्ड ट्राइब्स (1994)'' में अनुसचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बारे में विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

विनय किरपाल तथा मीनाक्षी गुप्ता ''इक्विलिटी थ्रू रिजर्वेशन (1999)'' में आरक्षण के माध्यम से समानता की स्थापना किस प्रकार हो सकेगी, इसका विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन का क्षेत्र

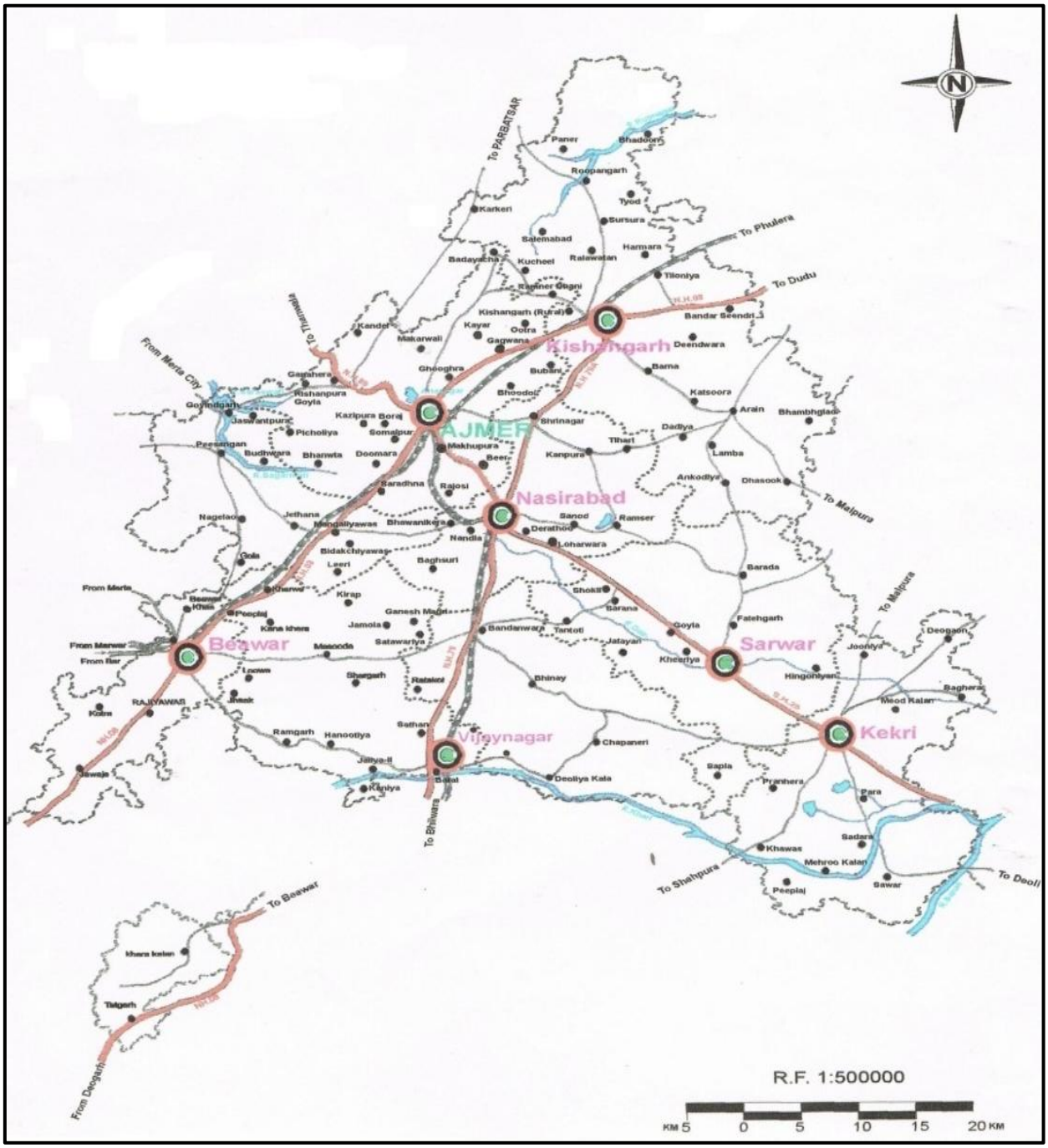

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-7* March- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

उपकल्पनाएं

1. जाति विशेष की जनसंख्या के सामाजिक–आर्थिक विकास में सरकारी योजनाएँ सहायक होती है।
2. लिंग व आयु के अनुसार जनसंख्या संरचना सामाजिक–आर्थिक दशाओं को प्रभावित करता है ।

अध्ययन तकनीक

शोधकार्य में अनुभाविक अथवा सांख्यिकी विधि महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। द्वितीयक समंको का प्रयोग आवश्यकतानुसार किया गया है। जो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से एकत्र किए गये हैं। इन समंकों को आवश्यकतानुसार सारणीबद्ध करने के उपरांत विभिन्न सांख्यिकी सूत्रों का प्रयोग कर उनका विश्लेषण किया गया है। समकों को अधिक बोधगम्य बनाने की दृष्टि से मानचित्रीकरण की विभिन्न तकनीकियों का उपयोग भूगोल से संबंधित शोधकार्यो में अपरिहार्य है, अतः विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करते हुए चित्र और आरेख यथा स्थान प्रस्तुत किये गये हैं।

अजमेर जिले की अनुसूचित जाति की व्यावसायिक संरचना एवं आर्थिक स्वरूप

जिले में पायी जाने वाली कुछ प्रमुख अनुसूचित जातियों के नाम व उनसे संबंधित आर्थिक क्रियायें इस प्रकार से है –

चमार

चमड़ा बनाना, पकाना और रंगन इनका प्रमुख व्यवसाय है। ये ढोल भी बनाते हैं।

कोली

ये करघों द्वारा मोटा कपड़ा बुनते हैं। गांव में रहने वाले लोग कृषि कार्य भी करते हैं।

सांसी

यह एक घुमक्कड़ जाति है, जो पहले चोरी करती थी। कुछ लोग कृषि कार्य में संलग्न है तथा कुछ भीख मांगने का काम भी करते हैं।

कंजर

कंजर जाति के लोग घुमक्कड़ है और भीख, चोरी आदि के द्वारा जीविका चलाते हैं।

खटीक

इनका मुख्य पेशा भेड़, बकरी, हिरण तथा चीतों की खालों को बेचना है।

भंगी

ये हिंदू जाति में सबसे निम्न स्तर के माने जाते हें। इन्हें हरिजन मेहतर या चूड़ा भी कहते हैं। इनका प्रमुख व्यवसाय पाखाना उठाना था।

मेघवाल

इन्हें भांभी या बलाई के नाम से भी जाना जाता है। पहले गांव की बेगार आदि वे ही निकालते थे।आज भी ये पटवारी आदि को बेगार निकालते हैं।

बलाई

ये भांभी भी कहलाते हैं। वर्तमान में वे खेतिहर मजदूर व काश्तकार का कार्य करते हैं।

बैरवा

अब ये चमड़े के काम को छोड़कर खेतिहर मजदूर हैं। ये हिंदू धर्मावलंबी है।

किसी जनसंख्या विशेष के आर्थिक विकास एवं व्यावसायिक संरचना को समझने के लिए उसकी कार्यशील जनसंख्या का वर्गीकरण सहायक होता है। निम्न सारणी में अजमेर जिले की अनुसूचित जाति की कार्यशील जनसंख्या का वर्गीकरण दर्शाया गया है –

अनुसूचित जाति की जनसंख्या का कार्यशीलता के आधार पर वर्गीकरण (2001–2011)

कार्यशीलता	2001	2011
मुख्य कार्यशील	113173(29.29%)	151767(31.7%)
सीमांत कार्यशील	34251(8.87%)	43347(9.06%)
अकार्यशील	238874(61.84%)	282913(59.1%)
कुल	386298	478027

स्रोत – जनगणना प्रतिवेदन 2001,11 जिला अजमेर

सारणी 1.1 से स्पष्ट होता है कि जिले में 2001–2011 के दशक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या में 23.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एवं मुख्य कार्यशील जनसंख्या में, इस दशक के दौरान 2.41 प्रतिशत की वृदि हुई जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या के विकास के संबंध में संतोषजनक संकेत है।

मौसमी प्रकृति की आर्थिक–गतिविधियों के कारण सीमांत कार्यशील जनसंख्या जो वर्ष 2001 में 8.87 प्रतिशत थी वह वर्ष 2011 में बढ़कर 9.06 प्रतिशत हो गई। सीमांत व कार्यशील जनसंख्या का यह प्रतिशत जिले के संभवतः भौगोलिक कारणों से है जो वहां की नवीन आर्थिक क्रियाओं में बाधक है। जिले में अनुसूचित जाति की अकार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 2001 में 61.84 प्रतिशत था जो कि घटकर 2011 में 59.1 प्रतिशत हो गया। अर्थात 2001–2011 के दशक में अनुसूचित जाति की अकार्यशील जनसंख्या में भी आंशिक (2.74 प्रतिशत) कमी हुई है जो जिले में अनुसूचित जाति के धीमी गति के आर्थिक विकास का द्योतक है। इसका संभवतः प्रमुख कारण अनुसूचित जाति के लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी का अभाव एवं साक्षरता की कमी है। (आरेख 1)

तहसीलवार कार्यशील व अकार्यशील जनसंख्या

जिले की अनुसूचित जाति की जनसंख्या की तहसीलवार कार्यशील व अकार्यशील संबंधी संरचना निम्न सारणी में दर्शाई गई है।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-7* March- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

अनुसूचित जाति की कार्यशील जनसंख्या का वर्गीकरण (2001 एवं 2011)

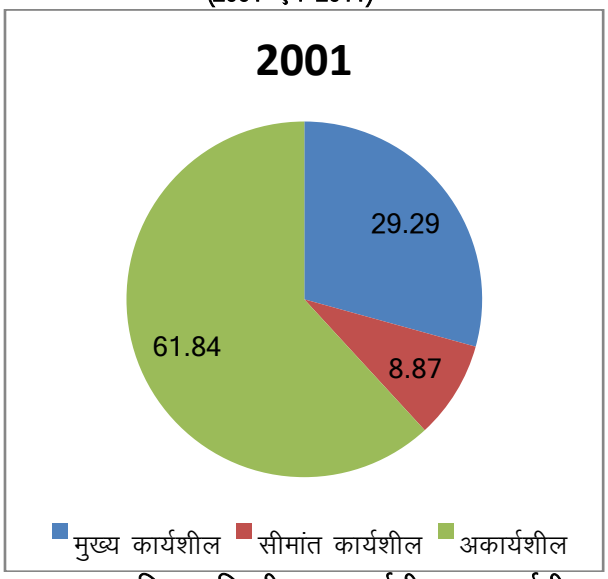

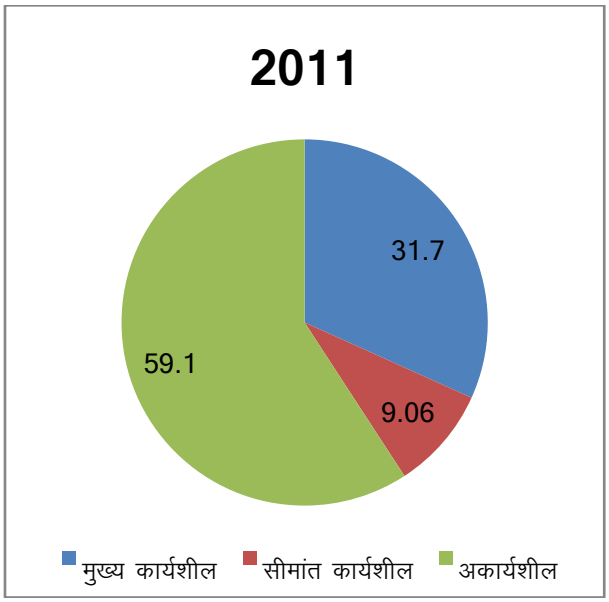

1.2 अनुसूचित जाति की मुख्य कार्यशील व अकार्यशील जनसंख्या का तहसीलवार वर्गीकरण (2001–2011)(प्रतिशत में)

तहसील	मुख्य कार्यशील जनसंख्या		अकार्यशील जनसंख्या	
	2001	2011	2001	2011
किशनगढ़	39.1	35.2	60.9	64.7
अजमेर	42.8	31.2	57.2	68.7
पीसांगन	38.2	35	61.8	65.0
ब्यावर	43.0	30.6	57.0	69.3
मसूदा	34.7	38.8	65.3	61.2
नसीराबाद	36.2	34.6	63.8	65.4
भिनाय	32.3	42.7	67.7	57.3
सरवाड़	41.2	45.7	58.8	54.3
केकड़ी	34.2	40.0	58.8	60.0

स्रोत – जनगणना प्रतिवेदन 2001,11 जिला अजमेर

सारणी 1.2 से स्पष्ट है कि किशनगढ अजमेर,पीसांगन, ब्यावर, नसीराबादतहसीलों में मुख्य कार्यशील जनसंख्या के प्रतिशत में 2001 की अपेक्षा 2011 में गिरावट आई है। यह तथ्य इन तहसीलों में आश्रितों के प्रतिशत में वृद्धि को दर्शाता है साथ ही यहां की जनसंख्या की साक्षरता में कमी से इनके द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकना भी संभवतया इसका प्रमुख कारण रहा है। उपरोक्त तहसीलों की तुलना में मसूदा, भिनाय,सरवाड़ एवं केकडी तहसीलों में कार्यरत जनसंख्या बढ़ी है इसके पीछे इन तहसीलों में सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों हेतु रोजगार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन है। ।

सारणी 1.2 से स्पष्ट है कि किशनगढ, अजमेर, पीसांगन, ब्यावर, नसीराबाद व केकडीतहसीलों में 2001–2011 के दशक के दौरान अकार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ा हे। इसका प्रमुख कारण इन तहसीलों में जन्म दर का अधिक होना है जिसके फलस्वरूप 15 वर्ष से नीचे की उम्र के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई और आश्रितों का प्रतिशत बढ़ा। जन्म दर के अतिरिक्त स्त्री शिक्षा में कमी व रूढ़िवादिता भी महत्वपूर्ण कारण रहे। जबकि अन्य तहसीलों में कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि अनुसूचित जाति के लोगों के आर्थिक स्तर में वृद्धि का सूचक है।

आरेख 2 में अनुसूचित जाति की मुख्य कार्यशील व अकार्यशील जनसंख्या का तहसीलवार वितरण दर्शाया गया है।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-7* March- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

अनुसूचित जाति की मुख्य कार्यशील व अकार्यशील जनसंख्या का तहसीलवार वितरण (2001–2011) (प्रतिशत में)

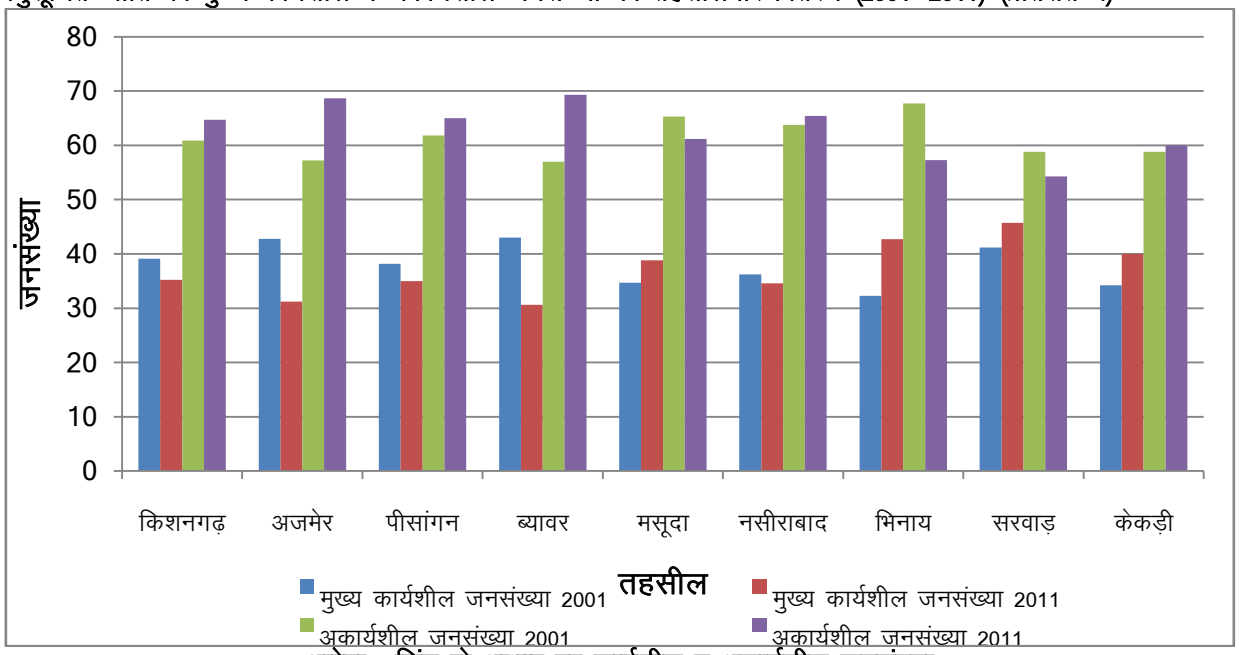

आरेख 2:लिंग के आधार पर कार्यशील व अकार्यशील जनसंख्या

कार्यशील व अकार्यशील जनसंख्या की संरचना को लिंग के आधार पर वर्गीकृत करना इनके आर्थिक जीवन को समझने में सहायक होगा। सारणी 1.3 वर्ष 2001 व 2011 में लिंग के आधार पर कार्यशील व अकार्यशील जनसंख्या के वर्गीकरण को दर्शाती है–

1.3 लिंग के आधार पर कार्यशील व अकार्यशील जनसंख्या (प्रतिशत में)

	कार्यशील जनसंख्या		अकार्यशील जनसंख्या	
वर्ष	**पुरूष**	**स्त्रियां**	**पुरूष**	**स्त्रियां**
2001	72.70	27.30	43.57	56.43
2011	64.54	35.45	41.64	58.35

स्रोत – जनगणना विभाग जयपुर

सारणी 1.3 से स्पष्ट है कि 2001 में अनु.जाति की कुल कार्यशील जनसंख्या का 72.70प्रतिशत पुरूषों का रहा जो 2011 में घटकर 64.54 प्रतिशत हो गया दूसरी और कुल कार्यशील जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत 2001 में 27.30 प्रतिशत रहा जो वर्ष 2011 में बढकर 35. 45 प्रतिशत हो गया (आरेख 3) उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट होता है कि 2001–2011 के मध्य कार्यशील एवं अकार्यशील जनसंख्या के लिंगानुसार आंकड़े अनुसूचित जाति की सकारात्मक सोच को प्रदर्शित करते हैं जो कि सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तन के कारकों से प्रभावित रही।

अनुसूचित जाति की अकार्यशील जनसंख्या में पुरूषों की तुलना में स्त्रियों का प्रतिशत दोनों ही जनगणना वर्षो में अधिक रहा जो भारतीय समाज की पुरूष प्रधान परंपरा का अप्रत्यक्ष समर्थन को दर्शाता है।

अकार्यशील स्त्री जनसंख्या संबंधी तथ्य दर्शाते हैं कि आर्थिक क्रियाओं में स्त्रियों की भागीदारी में वृद्धि नहीं हुई है। वर्ष 2001 की तुलना में अकार्यशील जनसंख्या में आंशिक कमी अंकित की गई जो लड़कों की जन्म दर में कमी होने का द्योतक है।

मुख्य कार्यशील जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना

किसी भी क्षेत्र विशेष के आर्थिक आविकास एवं वहां की आर्थिक क्रियाओं में संबंध होता है। आर्थिक विकास मुख्य कार्यशील जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना पर बहुत सीमा तक निर्भर होता है इसी प्रतिस्थापना को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत सारणी 1.4 में अनुसूचित जाति में मुख्य कार्यशील जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना को दर्शाया गया है जिससे जिले के आर्थिक विकास में अनुसूचित जाति के योगदान के साथ–साथ स्वयं अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आंतरिक आर्थिक विकास का आंकलन करने के साथ ही उनके आर्थिक विकास हेतु आवश्यक सुझाव दिए जा सकें।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-7* March- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

आरेखलिंग के आधार पर कार्यशील जनसंख्या (प्रतिशत में)

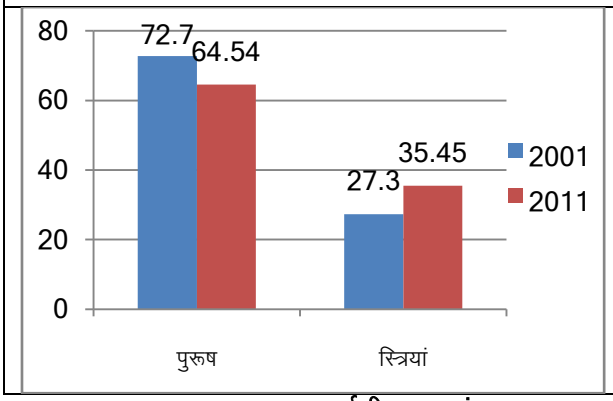

लिंग के आधार पर अकार्यशील जनसंख्या (प्रतिशत में)

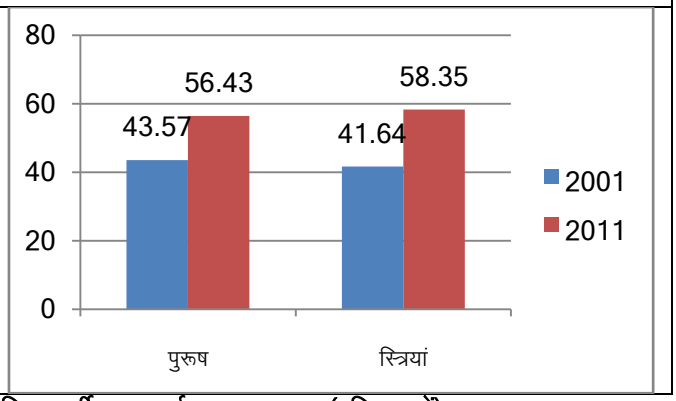

1.4 मुख्य कार्यशील जनसंख्या का व्यावसायिक वर्गीकरण वर्ष 2001–2011 (प्रतिशत में)

व्यवसाय	अनुसूचित जाति की जनसंख्या	
	2001	2011
काश्तकार	28.2%	21.6%
खेतीहर मजदूर	9.1%	12.4%
पारिवारिक उद्योग उत्पादन मरम्मत आदि	5.7%	3.7%
अन्य	57%	62.2%
अनु.जाति की कुल कार्यशील जनसंख्या	113173	151767

स्रोत – जनगणना प्रतिवेदन 2001,11 जिला अजमेर

उपरोक्त सारणी 1.4 से स्पष्ट है कि जिले में 2001 में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का मुख्य कार्यशील जनसंख्या का 38 प्रतिशत भाग सर्वाधिक (28.2 प्रतिशत) काश्तकार व्यवसाय में तथा 9 प्रतिशत खेतीहर मजदूर में संलग्न रहा जो अर्थोपार्जन हेतु कृषि एवं उसके सहायक कार्यो पर निर्भरता दर्शाता है शेष लगभग 60 प्रतिशत भाग पारिवारिक उद्योगों, पशुपालन, जंगलात में काम करना, मछली पकड़ना, शिकार करना, खनन व उत्खनन संबंधी कार्य, निर्माण कार्य, लघु व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन व संचार के साधनों से संबंधित रहा।

वर्ष 2011 में मुख्य कार्यशील जनसंख्या का केवल 34 प्रतिशत से अधिक भाग काश्तकार एवं मजदूरी में संलग्न रहा। पारिवारिक उद्योगों, उत्पादन, मरम्मत आदि कार्यो में वर्ष 2001 की तुलना में संलग्न सदस्यों का प्रतिशत कम रहा (2 प्रतिशत), जिसका प्रमुख कारण जिले में कृषि कार्य का मानसून पर निर्भर रहना है।

वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में, अन्य कार्यो यथा पशुपालन, जंगलात में कार्य करना, मछली पकड़ा, शिकार, खनन उत्खलन, निर्माण वाणिज्य एवं व्यापार, परिवहन संचार आदि में संलग्न सदस्यों का प्रतिशत 57 बढ़कर 62 हो गया। जो उनकी आर्थिक क्रियाओं एवं अन्य कार्यो के प्रति बढ़ते रूझान के पीछे अर्थोपार्जन हेतु अन्य कार्यो की बढ़ती उपलब्धता, मानसून की अस्थिरता तथा उससे पड़ने वाले दुष्प्रभावों से स्वयं को अप्रभावित रखने की जागरूकता, संभवतः महत्वपूर्ण कारक रहे। (आरेख 4)

अनुसूचित जाति की मुख्य कार्यशील जनसंख्या का व्यावसायिक वर्गीकरण

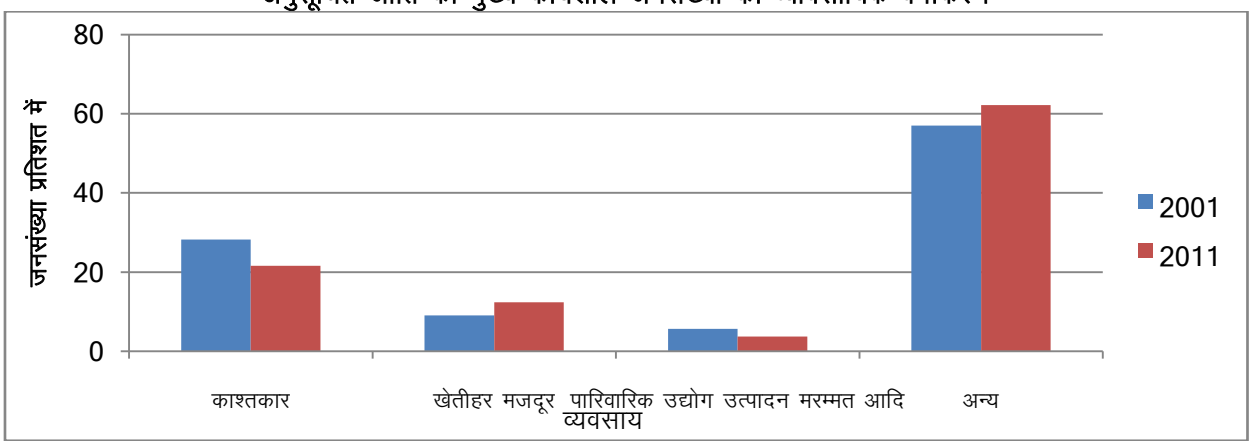

निष्कर्ष एवं सुझाव

आज भारत को स्वतंत्र हुए 71 वर्ष हो गए । परंतु अब तक भी समाज का एक विशेष वर्ग उपेक्षित एवं तिरस्कृत नजर आता है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारतीय संविधान विश्व में अद्वितीय स्थान रखता है परंतु व्यावहारिक धरातल पर यह किंचित अपेक्षाओं पर पूर्णतः खरा उतरता दिखाई नहीं पड़ता। प्रायः समाचार पत्रों में समाज के एक विशेष वर्ग (अनुसूचित जाति) के विरूद्ध आर्थिक शोषण, उत्पीड़न एवं अत्याचार के समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। शोध अध्ययन के पश्चात् शोधकर्ता द्वारा अनुसूचित जाति के सामाजिक–आर्थिक विकास से संबंधित जो निष्कर्ष निकाले गये वो इस प्रकार है –

1. जिले मे अकार्यशील जनसंख्या में 2001–2011 के दौरान लगभग 3% कमी आयी है । जो अनुसूचित जाति की जागरूकता को दर्शाती है ।
2. जिले मे कार्यशील महिलाओ का प्रतिषत 2001–2011 के दौरान लगभग 8 प्रतिशत बढा है जो महिलाओ में आर्थिक विकास को दर्शाता है ।
3. काश्तकारों को प्रतिशत में कमी(6.7 %) मानसून की अनिश्चिता के कारण है ।
4. व्यवसायिक संरचना के अन्तर्गत शिक्षा व सरकारी योजनाओ के लाभ के फलस्वरूप अन्य कार्यो यथा उत्खनन कार्य, निर्माण कार्य, लघु व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन व सरकारी में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत बढ रहा है ।
5. वर्तमान में अनेक सांविधानिक प्रावधानों, प्रदत्त सुविधाओं एवं उपायों के उपरांत भी अनुसूचित जाति समाज में सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित नहीं हो पाया है। किए गए शोध के आधार पर ये निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि अनुसूचित जाति समाज प्रदत्त सुविधाओं का पूरा पूरा लाभ नहीं उठा सका है। इसके कारण के रूप में एक तो सदियों से शोषित होने के कारण इनमें मनोबल एवं संघर्ष करने की क्षमता का अभाव देखा गया और दूसरा सामाजिक ढांचे का निर्माण इस प्रकार हो गया है कि वे इसका लाभ उठाने से वंचित रह गए

सुझाव

अनुसूचित जाति के सामाजिक–आर्थिक विकास के कुछ सुझाव इस प्रकार हैः–

1. कृषि में संलग्न अनुसूचित जाति के लिए विशेषयोजनाएँ सरकार द्वारा लागू की जाए।
2. लघु व कुटीर उधोगो के प्रोत्साहन हेतु नवीन योजनाएँ प्रस्तावित कर ऋण आदि की प्रकिया को सरल बनायी जाए ।
3. महिला शिक्षा को बढावा दिया जाना अपेक्षित है ।
4. योजनाओं का प्रभावी मूल्यांकन विभिन्न पंचायत समितियों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा कराया जाना चाहिए।
5. योजनाओं के अन्तर्गत दिये गये ऋणों एवं अनुदान का उपयोग उसी कार्य में होना चाहिए जिस कार्य के लिए राशि की स्वीकृत एवं आवंटन किया गया है। इस पर पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण भी आवश्यक है।
6. आर्थिक दशा को उन्नत करने के लिए इनकी आय के साधनों में वृद्धि के प्रयास अपेक्षित हैं इस हेतु लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास गांवों में तेजी से किया जाना चाहिए। स्त्रियों को विशेष घरेलु कार्यों एवं कुटीर उद्योगों में बनने वाली वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रभावी प्रशिक्षण व अनुदान सहित ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

उपर्युक्त सुझावों की क्रियान्वयन से क्षेत्र में अनुसूचितजाति के लोगों के लिए क्रियान्वित योजनाएं अधिक फलदायक होगी जिसमें योजनाओं के मूल लक्ष्य यथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने का लक्ष्य, आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

लाला जगदलपुरी 2007 ''बस्तर (इतिहास संस्कृति तृतीय संस्थान)'' म.प्र हिन्दी ग्रथं अकादमी भोपाल

कौशिक, एस. डी. (2009), ''संसाधन भूगोल'' रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ।

जिला जनगणना प्रतिवेदन, 2011 (अजमेर). जनसंख्या विभाग. जयपुर

त्रिपाठी डॉ आर. डी 2013 जनसंख्या भूगोल

के. विलियम केंप – ''हिंदू कल्चर – इकॉनोमिक डेहलपमेंट एंड इकॉनोमिक प्लानिंग इन इंउिया'' (इन एशिया)

जैन, डॉ. पुखराज, ''भारत की सांस्कृतिक विरासत'' पृ 147–48

मुकर्जी, रवीन्द्र नाथ, ''सामाजिक मानव शास्त्र की रूपरेखा''

सक्सेना, आर. एन. ''भारतीय समाज तथा सामाजिक संस्थाएं''

फिशर, जी. एस. ''फेयर चाइल्ड डिकशनरी ऑफ सॉसियोलॉजी''

हारून मोहम्मद 2016. आर्थिक भूगोल के मूल तत्व. वसुन्धरा प्रकाशन. गोरखपुर

कौशिक, एस. डी. (2014), ''संसाधन भूगोल'' रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ।

गौतम अल्का (2017), ''भारत का वृहत् भूगोल'' शारदा पुस्तक भवनदृइलाहाबाद।

वैष्णव. टी. के. 2004 . धतीसगढ की अनुसूचित जनजतियॉ

शर्मा. एच. एस. 2015 ''राजस्थान का भुगोल''

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-7* March- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

Distributed by **Subscription/Declaration Form for the Publication of Paper in Journals/Magazine**

Social Research Foundation
Committed for quality education
128/170, H-Block, Kidwai Nagar, Kanpur - 208011
Contact : 0512-2600745, 9335332333, 9839074762
E-mail : socialresearchfoundationkanpur@gmail.com * Website : www.socialresearchfoundation.com

Personal Details

1. Author .....
Designation :.....
Department :.....
College Website:.....
Residential Address (where journal to be post)
.....
.....
City.....Pin.....Country.....
Phone.....Mobile.....
E-mail:.....
2. Co-author .....
Phone :.....
Email .....
3. Co-author .....
Phone :.....
Email .....

Signature Date Introduced by

Payment Details (Any type of payment is not refundable)

I wish to **subscribe** ☐ **renew my subscription** ☐
Publish **a paper/article** ☐ Seminar/Workshop ☐
Others (Please Mention).....

Mode of Payment

BankDraft/Cheque No.....Date.....
for Rs.....drawn on.....
in favour of **"SRINKHLA EK SHODA"** payable at Kanpur.
If on-line pay (Transaction ID/UTR).....
transfer in **State Bank of India, Usmanpur, Kanpur (03752)**
Account No. 35204660434, IFS Code : SBIN0003752
in favour of **"INNOVATION THE RESEARCH CONCEPT"**
If on-line pay (Transaction ID/UTR).....
transfer in **Indian Bank, Saket Nagar, Kanpur (01628)**
Account No. 6606294002, IFS Code : IDIB000S150
in favour of **"SOCIAL RESEARCH FOUNDAION KANPUR"**
If on-line pay (Transaction ID/UTR).....
transfer in **Indian Bank, Saket Nagar, Kanpur (01628)**
Account No. 933846442, IFS Code : IDIB000S150
Pl. add **Rs. 100/- as BANK CHARGES,** if ourstanding cheques

Declaration Form by the Author(s) (Please read it carefully)

Photo of Author **1. Author** | Photo of Co-author **2. Co-author** | Photo of Co-author **3. Co-author**

I, hereby, declare that this paper/article /matter titled.....
.....
.....
and other information given in this form are true and original. Also, it is declared that above paper/article is not copied or not under review for another publication and not yet published anywhere and the above paper is within 4500 to 5000 words. The opinions and statements published are the responsibilities of mine/us and not policies overviews of the editor. **Publisher are fully authorize to publish my/our paper/article in any of the publication (**book journals/ magazines/ news paper/ articles**) according to the quality of the paper / language / review process of their policies.**

Also, it is in my knowledge that for publication, all rights reserved by Publisher, no part of their publication may be reproduced, stored in a retrieval system, used in a spreadsheet, or transmitted in any means- electronic, mechanical, photocopying or otherwise without prior permission in writing. The articles/papers originally published in other magazines / journals are reprinted with permission Publisher holds the copyright of the selection, sequence, introduction material, value addition, questions at the end and illustration.

The views expressed in these publications are purely personal judgements of the author(s) and do not reflect the views of the institute or the organizations with which they are associated.

All efforts are made to ensure that the published information is correct. The "Social Research Foundation"/publisher is not responsible for any error caused due to oversight or otherwise.

The publisher is not responsible for any discrepancy / inaccuracy in the paper / material / data provided by the Author(s). In case of any nuisance, the author(s) will be responsible for the inaccuracy / discrepancy and any type of claim.

All disputes will be subject to Kanpur Jurisdiction only.

Signature of Author Signature of Co-authors

Please note that if any matter found copied from any sources, fee will not be refunded and against such author(s) legal action may be taken under copyright act by competent authorities.